1080
6/10/26

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पूर्व): कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली

परिपत्र

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पूर्व) कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली की स्वीकृति से व केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय, दिल्ली की बैठक दिनांक 24.08.2026 की अनुशंसा पर तथा भाषा विभाग, दिल्ली सरकार एवं राजभाषा विभाग, भारत सरकार से समय-समय पर प्राप्त पत्रों के विषयों के अनुरुप, आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय में प्रयोग की जाने वाली **सभी रबड़ की मोहरें नियमानुसार द्विभाषी रूप (ऊपर हिन्दी एवं नीचे अंग्रेजी)** में ही बनवाईं जाएँ तथा उनका प्रयोग सुनिश्चित किया जाए।

उक्त निर्देश राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3), राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 11(3) तथा राजभाषा संकल्प, 1968 में निहित प्रावधानों एवं राजभाषा नीति की भावना के अनुरुप है। नियमानुसार कार्यालय में प्रयुक्त लेखन-सामग्री की मदों पर हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लेखन, मुद्रण व अंकित किया जाना अपेक्षित है।

अतः आप सभी सुनिश्चित करें कि कार्यालय में एकभाषी रबड़ की मोहरों के स्थान पर **केवल द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी)** मोहरों का ही प्रयोग किया जाए और यदि एकभाषी मोहर का प्रयोग हो रहा है तो उनके स्थान पर तुरंत **द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी)** मोहर बनवाईं जाएं तथा भविष्य में बनवाई जाने वाली प्रत्येक नई मोहर ऊपर हिन्दी एवं नीचे अंग्रेजी में ही तैयार कराई जाएं।

इस निर्देश का **अक्षरशः एवं भावनापूर्वक अनुपालन** सुनिश्चित किया जाए।

21/2/26

(साएमा जैन)
नोडल अधिकारी (पूर्व)
केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति,
जिला न्यायालय, दिल्ली।

2224-32

संख्या...../राजभाषा हिन्दी अनुभाग/पूर्व/क.क.डू./दिल्ली/2026 **दिनांक 03 OCT 2026**

प्रतिलिपि, सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:-

1. निजी कार्यालय, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
2. निजी कार्यालय, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पूर्व) कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
3. माननीय अध्यक्ष, केंद्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय, दिल्ली।
4. माननीय सदस्य, केंद्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय, दिल्ली **-श्री धर्मेन्द्र राणा,** माननीय जिला न्यायाधीश-01, नई दिल्ली जिला,पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली, **श्री हेमराज जी,** माननीय न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, उत्तर-पश्चिम जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली, **सुश्री रुची अग्रवाल असरानी जी,** माननीय विशेष न्यायाधीश,पी.सी.एक्ट,राउज एवेन्यू न्यायालय, दिल्ली व **सुश्री नीति सूरी मिश्रा जी,** माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पोक्सो), उत्तर-पश्चिम जिला,रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
5. समस्त विद्वत न्यायिक अधिकारी, पूर्व जिला, कड़कड़कडूमा न्यायालय, दिल्ली।
6. समस्त प्रशासनिक अधिकारी/अनुभाग प्रभारी, पूर्व जिला, कड़कड़कडूमा न्यायालय, दिल्ली।
7. प्रशासनिक अधिकारी(न्यायिक)/अनुभाग प्रभारी, कंप्यूटर शाखा, कड़कड़डूमा न्यायालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. प्राप्ति एवं निर्गमन शाखा, पूर्व जिला को लेयर्स (LAYERS) पर अपलोड करने हेतु।
9. रीडर, नोडल अधिकारी (पूर्व), केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय, दिल्ली।

21/2/26

नोडल अधिकारी (पूर्व)
केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति,
जिला न्यायालय, दिल्ली।